राज्यपाल सचिवालय,
लोक भवन , जयपुर

क्रमांकः प.20( )लो.भ. / उद्यान / गाय का चारा / 3135 दिनांक:02 जून 2026

सीमित बोली सूचना

लोक भवन जयपुर में गायों के लिए आवश्यकतानुसार 10 मन (मण) तक लगभग ज्वार कुट्टी प्रति सप्ताह / पखवाड़ा सप्लाई कार्य के लिए सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 09.06.2026 दोपहर 02:00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त बोली दिनांक 09.06.2026 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष कंट्रोलर, लोक भवन कार्यालय में खोली जावेगी। कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 1,99,000 / –(एक लाख निन्नानवे हजार मात्र) समस्त करों सहित होगी।

इच्छुक फर्मे दिनांक 02.06.2026 अपराह्न से बोली प्रपत्र कंट्रोलर, लोक भवन कार्यालय से (राजकीय अवकाश को छोड कर) प्राप्त कर सकते है अथवा लोक भवन की वेबसाइट www.lokbhavan.rajasthan.gov.in / http:/sppp.raj.nic.in. से डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्यालयाध्यक्ष
राज्यपाल सचिवालय

क्रमांकः प.20( ) लो.भ. / उद्यान / गाय का चारा / 3136 दिनांक:02 जून 2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01 प्रभारी अधिकारी लोक भवन जयपुर, को www.lokbhavan.rajasthan.gov.in / http: //sppp .raj.nic.in. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
02 नोटिस बोर्ड, कार्यालय
03 रक्षित पत्रावली

(शरद तिवारी)
कन्ट्रोलर
राज्यपाल हाउसहोल्ड

राज्यपाल सचिवालय,
लोक भवन,जयपुर

लोक भवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई दरों बाबत्।

बोलीदाता का नामः– ....

पताः– ....

मोबाईल नंबरः– ....

क्र.सं.	कार्य का विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर रूपये प्रति मन (40 किलो)	जी.एस.टी / कर की दर प्रतिशत में यदि लागू हो
1.	लोक भवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई बाबत्		

दिनांकः ....

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

उप सचिव प्रथम

राज्यपाल सचिवालय
लोक भवन, जयपुर

बोली की सामान्य शर्ते

01 राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं इससे संबंधित वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन, आदेश, निर्देश प्रभावी होंगे। बोलीदाता को "नियम" "अधिनियम" की पूर्व जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त अधिनियम, नियम, के किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त नियम एवं अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

02 ज्वार कुट्टी की मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या/मात्रा की गारंटी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या/मात्रा में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे / प्रतिकार का हकदार नही होगा। कार्य की संख्या / मात्रा वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली की शर्ते, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।

03 अनुबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम ज्वार कुट्टी कार्य की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।

04 दरों की वैद्यता– तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधिमान्य होगी।

05 संवेदक कार्य को या उसके किसी भाग को अन्य किसी संवेदक / संस्था को नहीं देगा अर्थात सबलेट नहीं करेगा।

06 इस कार्य की अवधि कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष होगी।

07 ज्वार कुट्टी सुखी, खक एवं कीट रहीत होनी चाहिए तथा मांग के अनुसार लोक भवन गो–शाला को अधिकतम दो दिवस में आपुर्ति करनी होगी।

08 कार्य लोक भवन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के निर्देश में करना होगा।

09 बोली प्रपत्र सीलबंद लिफाफे मे प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे पर ज्वार कुट्टी आपूर्ति कार्य हेतु सीमित बोली अवश्य अंकित करें एवं बोली डाक व तार द्वारा मान्य नहीं होगी।

10 यदि अनुमोदित संवेदक अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य संपादित करने में असफल रहा तो संविदा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

11 विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार्य कर सकता है तथा किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है।

12 संविदा संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउस होल्ड जयपुर के नाम करना होगा। संविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।

13 उक्त संविदा के अनुंबध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका अंतिम निर्णय सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का मान्य होगा।

14 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियमय 2013 के अनुसरण में लोक भवन की वेबसाईट http://www.lokbhavan.rajasthan.gov.in. अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in. पर भी निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नंबर

वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | उप सचिव प्रथम